प्रश्न सं. [क्र. 1163]

मध्यप्रदेश शासन,
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक 516/1204/2019/4–25 भोपाल, दिनांक 02/06/2021

प्रति,

आयुक्त,
अनुसूचित जाति विकास
म0प्र0 भोपाल

विषयः–जबलपुर जिलें में अनुसूचित जाति बस्ती विकास मजरे टोलों का विद्युतीकरण एवं अनुसूचित जाति वर्गों के कृषकों तक विद्युत लाईन का विस्तार योजनान्तर्गत शासन स्तर पर सुरक्षित 20 प्रतिशत निधि से राशि स्वीकृत करने बाबत्।

सन्दर्भः–1. आपकी यू0 ओ0 टीप क्र. 12069 दिनांक 25.02.2020
2. एस.एफ.सी. की बैठक दिनांक 28.07.2020

––0––

राज्यशासन, एतद्द्वारा स्थायी वित्त समिति की बैठक दिनांक 28.07.2020 में लिये गये निर्णय कमांक 06 अनुसार जबलपुर जिले के बरगी में डॉ. अम्बेडकर सामुदायिक मंगल भवन के बाउण्ड्रीवाल निर्माण हेतु अनुसूचित जाति बस्ती विकास मजरे टोलों का विद्युतीकरण एवं अनुसूचित जाति वर्ग के कृषकों तक विद्युत लाईन का विस्तार योजनान्तर्गत शासन स्तर पर सुरक्षित 20 प्रतिशत निधि से **रूपये 08.96 लाख (रूपये आठ लाख छियानबे हजार)** की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2/ उपरोक्त राशि संबंधित निर्माण एजेन्सी को तत्काल आवंटित की जाये ताकि राशि शीघ्र व्यय की जाकर कार्य समय सीमा में पूर्ण किये जा सके ।

3/ राशि व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी से विधिवत प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करें एवं स्वीकृति की एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध कराई जावे।

4/ म0प्र0 अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना नियम 2018 के तहत यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि कार्य ऐसे अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों/बस्ती/वार्डो/मजरे/टोले/पारे में कराये जाये, जिनमें वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग की जनसंख्या कुल जनसंख्या के 40 प्रतिशत या अधिक अनु0 जाति के परिवार निवासरत हों ।

5/ व्यय वित्तीय नियमों के अंतर्गत किया जावे ।

6/ व्यय की जानकारी उपयोगिता प्रमाण–पत्र सहित आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश को भेजकर इस विभाग को सूचित किया जावे ।

7/ कार्य एजेंसी का निर्धारण जिला कलेक्टर द्वारा किया जाए ।

8/ राशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में किया जाकर कार्य पूर्ण करायें ।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

9/ उपरोक्त व्यय ''मांग संख्या–49, मुख्य शीर्ष –4225–अनु. जातियों, अनु. जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय (01) अनु. जातियों का कल्याण (800) अन्य व्यय, 0103– अनु0 जाति उपयोजना (4722) अनु. जाति बस्तियों का विकास–64–वृहद निर्माण कार्य, 002–उप वृहद निर्माण कार्य में प्रावधान राशि के'' अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार ,

(सचिन्द्र राव)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
o/c अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
भोपाल, दिनांक 02/06/2021

पृ0 कमांक SA/1204/2019/4–25
प्रतिलिपिः–

1 विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, भोपाल
2 श्री संजय यादव, माननीय विधायक, विधानसभा क्षेत्र ,बरगी जबलपुर
3 निज सचिव, प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, भोपाल
4 महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, म.प्र., ग्वालियर।
5 आयुक्त, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, भोपाल।
6 कलेक्टर, जिला, जबलपुर म.प्र.।
7 जिला संयोजक/सहायक आयुक्त, जबलपुर, म0प्र0।
8 जिला कोषालय अधिकारी, जबलपुर, म0प्र0।
9 गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
o/c अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
...चित जा... कल्याण विभाग

परिशिष्ट- (अ)

कार्यालय आयुक्त अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश
राजीव गांधी भवन, 35, श्यामला हिल्स भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक/बजट/न.क. 5/2021-22/ 1826 भोपाल, दिनांक 28/07/2021

प्रति

परियोजना संचालक
पी.आई.यू. निर्माण भवन
तृतीय तल, अरेरा हिल्स
भोपाल

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 मे मांग संख्या-49-4722 योजनान्तर्गत **हेतु राशि रू. 08.96 लाख (राशि रू. आठ लाख छियानवे हजार मात्र)**जिला जबलपुर को आवंटन **BCO-1903** परियोजना संचालक **(PIU)** में हस्तांतरित करने बाबत्।

संदर्भ-शासन का पत्र कमांक 516/1204/2019/4-25 दिनांक 02.06.2021 में उल्लेखित अनुसार आवंटन।

00

विषयांकित कार्यालयीन अधो सरचना विकास शाखा की नस्ती कमाक 140 के नोटशीट पृष्ठ कमाक 17 पर दिनाक 13.07.2021 द्वारा आयुक्त महोदय की स्वीकृति के पालन मे विभाग अतर्गत सचालित योजना अनुसूचित जाति बस्तियों के विकास कार्य हेतु "माग सख्या-49, मुख्य शीर्ष-4225-अनुसूचित जातिया, अनुसूचित जनजातिया तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय (01) अनुसूचित जातियों का कल्याण, (800)-अन्य व्यय, 0103-अनुसूचित जाति उपयोजना (4722)-अनुसूचित जाति बस्ती विकास, 64-वृहद निर्माण कार्य, 002- उप वृहद निर्माण कार्य" में निम्नानुसार आवटन आपके **BCO-1903** परियोजना संचालक (PIU) में हस्तांतरित किया जाता है।

(राशि लाख मे)

सरल कमाक	लेखा शीर्ष	हस्तांरित आवटन
1	49-4225-01-800-0103-4722-64-002	08.96

(रू.आठ लाख छियानवे हजार मात्र)

यदि आपको आवंटित राशि का वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय करना संभव न हो तो यथाशीघ्र आवंटन **BCO-5504 को समर्पित** करते हुए जानकारी आई.डी. नंबर के साथ इस कार्यालय को प्रेषित करने का अनुरोध है।

. **उपरोक्त** आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र कमांक एल 350/आर-22/2021/ब-1/चार, भोपाल दिनांक 31.03.2021 में दिये गये निर्देशानुसार व्यय के लिये उपलब्ध होगा।

यह राशि आपको **अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजनातंर्गत 20 प्रतिशत सुरक्षित राशि से जारी की जा रही है।**

वित्तीय वर्ष के अंत में कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित कार्य एजेंसी से लिया जाना **अनिवार्य होगा। जिसे** 31.03.2022 तक इस कार्यालय को प्रेषित करें।

उक्त बजट सर्वर में आई. डी क ....26.... दिनांक 27/07/2021 को आवंटित किया गया।

कृपया नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

(आयुक्त महोदय द्वारा स्वीकृत)

27/7/2021
संयुक्त सचालक (वित्त)
अनुसूचित जाति विकास म.प्र

कमांक/बजट/न.क.5/2021-22/ 1827 भोपाल, दिनांक 28/7/2021

प्रतिलिपि :-

1. **प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन**, अनुसूचित जाति विकास, मंत्रालय भोपाल म.प्र.।
2. **महालेखाकार म.प्र.** ग्वालियर।
3. **आयुक्त, कोष** एव लेखा, पर्यावास भवन म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. निज सचिव, **आयुक्त**, अनुसूचित जाति विकास, म.प्र. भोपाल।
5. **वित्तीय सलाहकार**, मध्यप्रदेश शासन, कार्यालय परियोजना सचालक, लो.नि.वि.पी.आई.यू. भोपाल।
6. **वित्तीय सलाहकार**, मध्यप्रदेश शासन अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, म.प्र. भोपाल।
7. **कलेक्टर** जिला- **जबलपुर** म.प्र.।
8. **संभागीय परियोजना यंत्री** लोक निर्माण विभाग (PIU) जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
9. **संभागीय उपायुक्त** जनजातीय कार्य एव अनुसूचित जाति -**जबलपुर** सभाग म.प्र.।
10. **जिला संयोजक**, अनुसूचित जाति जिला-जबलपुर म.प्र. की ओर, सूचनार्थ।
11. **अधो संरचना शाखा प्रभारी** मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
12. **बजट शाखा, मुख्यालय**, भोपाल की ओर उपरोक्त आवंटन की प्रविष्टि सेन्टर सर्वर करने हेतु।
13. **फोल्डर प्रति।**

संयुक्त संचालक (वित्त)
अनुसूचित जाति विकास, म.प्र

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

सहायक अनुभाग अधिकारी
अनुसूचित जाति विभाग
मध्य प्रदेश